

पत्रांक - ELS-10/2006-

पटना, दिनांक

सितम्बर, 2020 ई०।

प्रेषक

एच० आर० श्रीनिवास,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय:- बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2005 (अक्टूबर-नवम्बर) के अवसर पर निर्वाचन कार्य हेतु अधिगृहित निजी बस सं०-बी०आर०-13-8665 के कन्डक्टर श्री राम बाबू उर्फ उमा प्रसाद को आंशिक विकलांगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिये जाने के कारण श्री राम बाबू उर्फ उमा प्रसाद को ₹5,00,000/- (पाँच लाख) मात्र का भुगतान करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- यह राशि मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001- राज्य विधान सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001060001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि से विकलनीय होगी।
- अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-463, दिनांक 26.10.2018 द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-वि (27) पे०को०-122/2004-95 दिनांक 20.01.2005, वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-वि०(27) पे० को०-142/2005-2307 दिनांक 17.10.2005 एवं संकल्प सं०-वि(27)पे०को०-78/05-2796वि०(2)दिनांक 01.04.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में दी जा रही है।
- अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001- राज्य विधान सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001060001 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा श्री राम बाबू उर्फ उमा प्रसाद पिता स्व०-रूपचन्द राम स्थायी पता- ग्राम+पोस्ट-योगीपुर, थाना-हिल्सा, जिला- नालंदा को उचित पहचान के उपरांत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया स्वीकृत राशि के भुगतान के पूर्व श्री राम बाबू उर्फ उमा प्रसाद से यह लिखित रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि श्री राम बाबू उर्फ उमा प्रसाद को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/उनके पैतृक विभाग से अनुग्रह अनुदान/बीमा की राशि प्राप्त नहीं हुआ है।
- पूर्व में निर्गत स्वीकृतादेश सं०-3107 दिनांक-10.09.2020 को एतद द्वारा रद्द किया जाता है।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक ज्ञापांक :- ELS-10/2006-

पटना, दिनांक

सितम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :- श्री राम बाबू उर्फ उमा प्रसाद पिता-स्व० रूपचन्द राम, स्थायी पता- ग्राम+पोस्ट-योगीपुर, थाना-हिल्सा, जिला- नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक :- ELS-10/2006-

पटना, दिनांक

सितम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को निबंधित डाक द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक :- ELS-10/2006-

पटना, दिनांक

सितम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक :- ELS-10/2006-

पटना, दिनांक

सितम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला को स्वीकृत राशि के विरुद्ध शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाये।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक :- ELS-10/2006-

पटना, दिनांक

19 सितम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- श्री अभिषेक कुमार, आईटी० मैनेजर, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को CEO Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-सरकार के सचिव, बिहार।